न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, नसीराबाद,
(अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : नवीन मीणा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आवेदन पत्र संख्या : 66/2026
सी.आई.एस. संख्या : 66/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 78/2026
पुलिस थाना : नसीराबाद सदर, जिला अजमेर
अपराध अन्तर्गत धारा : 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट

1– रामकिशन ज्याणी पुत्र श्री मांगी लाल उम्र 23 साल निवासी मालासी बास गांव राजलदेशर थाना राजलदेशर जिला चुरू
2– तोला राम पुत्र श्री जैसा राम उम्र 27 साल निवासी मालासी बास गांव राजलदेशर थाना राजलदेशर जिला चुरू
3– ताराचन्द घिटाला पुत्र श्री सांवर मल उम्र 30 साल निवासी आथुणा बास गांव राजलदेशर थाना राजलदेशर जिला चुरू
4– विष्णु पारीक पुत्र श्री भागीरथ उम्र 25 साल निवासी आथुणा बास गांव राजलदेशर थाना राजलदेशर जिला चुरू

.....प्रार्थी/अभियुक्तण

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक

–– अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस

उपस्थितः–

1– श्री राजेश लखन, श्री राजेश चौधरी – अधिवक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री महेन्द्र चौधरी – अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से

::आदेश:: **दिनांकः– 13–03–2026**

01– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2026 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट पुलिस थाना नसीराबाद सदर, अजमेर में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा धारा 483 बीएनएसएस का दिनांक 11–03–2026 को पेश किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण का तर्क है कि पुलिस थाना नसीराबाद सदर,जिला अजमेर में एफ.आई.आर नं. 78/2026 अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट में दर्ज किया गया तथा प्रार्थीगण को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तब से प्रार्थीगण न्यायिक अभिरक्षा में चले आ रहे है । प्रार्थीगण पूर्णत निर्दोष है तथा पूर्व का किसी प्रकार का आपराधिक रेकार्ड नहीं है प्रार्थीगण से किसी प्रकार की बरामदगी एवं अनुसंधान शेष नहीं है । प्रार्थीगण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति है। प्रार्थीगण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी है एवं जमानत की सूरत में उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। दौराने बहस उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में एन डी पी एस एक्ट के आवश्यक विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये –

1– CRIMINAL APPEAL NO 943 OF 2005
VIJAYSINH CHANDUBHA JADEJA VS STATE OF GUJARAT
SUPREME COURT OF INDIA
DATE OF JUD–29 OCT 2010
2– CRIMINAL APPEAL NO 273 OF 2007
Arif Khan @ Agha Khan vs State of Uttarakhand
SUPREME COURT OF INDIA
DATE OF JUD–27 April 2018

03– विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी /अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया।

04– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 27–02–2026 को समय करीब 10.15 ए.एम पर झडवासा चौकी के सामने भीलवाडा की तरफ से आने वाले वाहनों की नाकाबन्दी व चैकिंग के दौरान वेन्यू कार में दो नम्बर प्लेट के अलावा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई एवं

उसके पीछे चल रही एक स्विफट कार नम्बर आर.जे.44 पी ए 0516 को रोककर चैक किया चालक व खलासी सीट के पीछे एक काले रंग के प्लास्टिक का कटटा व एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कटटा तथा पीछे की डिक्की में दो प्लास्टिक के काले कटटे मिले जिनके मूंह बंद मिले, उक्त कटटो को खोलकर चैक किया तो सभी कटटो में डोडा पोस्त छिलका होना पाया समस्त कटटो का वजन किया तो चारो कटटो का कुल वजन 70 किलो 290 ग्राम हुआ ... आदि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2026 अन्तर्गत धारा 8/15, 8/29 एन डी पी एस एक्ट में पंजीबद्व कर अनुसंधान किया जा रहा है । प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार धारा 50 के नोटिस के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना नहीं किये जाने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया गया है । प्रकरण हाजा में थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा अभियुक्तगण की तलाशी मजिस्ट्रेट,अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं करवाई गई है । अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में लगने वाले समय के तथ्य को मध्य नजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी / अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ऐसे में प्रार्थी /अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

05– अतः प्रार्थी/अभियुक्त 1–रामकिशन ज्याणी पुत्र श्री मांगी लाल 2–तोला राम पुत्र श्री जैसा राम 3– ताराचन्द घिटाला पुत्र श्री सांवर मल तथा 4– विष्णु पारीक पुत्र श्री भागीरथ द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्वुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 25,000/–रूपये 25,000/– रूपये की दो जमानत (जिनमें से एक जमानती प्रत्येक अभियुक्त का निकटतम रिश्तेदार हो) एवं 50,000/रूपये का स्वयं का बंधपत्र पृथक पृथक न्यायालय की संतुष्टीनुसार इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(नवीन मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

नसीराबाद, अजमेर।

06– आदेश आज दिनांक 13–03–2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नवीन मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।

MANGAL SINGH SHEKHAWAT

Digitally signed by MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Date: 2026.03.13 16:08:01 +0530